



Neutral Citation No. - 2026:AHC:41825

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6693/2026

अनीता देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 23 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीपक सिंह, महेश कुमार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद रॉय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् उप-जिलाधिकारी, तहसील चैल, जिला कौशांबी द्वारा वाद संख्या 213/2024, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202402420500213 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत कार्यवाही में दिनांक 05.08.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता द्वारा संहिता, 2006 की धारा 207 के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज के समक्ष एक अपील दायर की गई। उक्त अपील के साथ विलंब माफी का आवेदन तथा अंतरिम अनुतोष हेतु आवेदन भी दायर किया गया।
2. तर्क दिया गया है कि उक्त अपील को अपील संख्या 1606/2026, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या टी202602420501606 (अनीता देवी बनाम उषा देवी एवं अन्य) के रूप में संख्यांकित किया गया है, किंतु कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
3. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों तथा न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका इस अंतिम निर्देश के साथ **निस्तारित** की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् आयुक्त, प्रयागराज मंडल, प्रयागराज, जिनके समक्ष उक्त अपील लंबित है, सर्वप्रथम आज से **तीन सप्ताह** की अवधि के भीतर विधि के अनुसार विलंब माफी के आवेदन पर विनिश्चय करें। यदि ऐसा आवेदन अनुज्ञात किया जाता है, तो तत्पश्चात् अगले **तीन सप्ताह** के भीतर अंतरिम अनुतोष के आवेदन पर विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करें, जब तक कोई विधिक अड़चन न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

24 फ़रवरी, 2026

स्वाति